फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बड़गॉव, उदयपुर

प्रार्थीः—इन्द्रा विपक्षीः— भारतभुषण

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः— 128/19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	06.01.20 पत्रावली दिनांक 02.01.20 को अवकाश होने से आज पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बड़ी पटवार क्षेत्र बड़ी तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 2330 से 2337 कुल किता 8 रकबा 1.0850 हैक्टर भूमि के पूर्व खातेदार श्री राधाकिशन पिता हीरालाल ब्राम्हण थे जो कि वादिया के पिता हैं। राधाकिशन जी की मृत्यू के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 के मन में बदनियती आने से उसके द्वारा राजस्व रेकार्ड में पिता की मृत्यु के बाद गलत तथ्य बताकर केवल मात्र अपने नाम पर ही नामान्तरकरण खुलवा कर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित करवा दिया जबकि प्रार्थीया भी उक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हक हिस्से की अधिकारी होकर 1/2 हिस्से पर कृषि कर रही हैं। प्रार्थीया तथा विपक्षी संख्या 1 के मध्य कभी भी बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। उक्त आराजीयात का विधि अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कराये जाने हेतु प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से कहा परन्तु विपक्षी संख्या 1 इसके लिये तैयार नहीं हैं। जब तक विधि अनुसार बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक हर इंच जमीन पर हर खातेदार का हक व अधिकार रहता हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 अपने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि का अपने तरीके से उपयोग उपभोग कर सके तथा अपने अपने हिस्से अनुसार सिंचाई कर सके इस हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 इस सम्पूर्ण आराजीयात को विक्रय करने पर उतारू है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा यदि यह जमीन विक्रेय कर दी तो मुकदमेबाजी बढेगी। इस कारण इसी स्टेज पर अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस अथवा अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही इस जमीन को खुर्द बुर्द करें एवं प्रार्थीया को इस जमीन पर आने जाने एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। यह कार्य ना तो विपक्षी स्वयं करे नाही अपने नौकर, एजेन्ट एवं अन्य से ही करावें एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाबी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया के पिता राधाकिशन उर्फ गुरू राधाकृष्ण एक भूतपूर्व सैनिक थे। भूतपूर्व सैनिक के आधार पर उन्हे वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई। प्रार्थीया द्वारा सन् 87—88 में अपने प्रेम प्रसंगो से परिवार को काफी बदनाम किया गया एवं सन् 89 में घर से भाग कर शादी कर माता पिता व परिवार को त्याग कर सन् 89 में ही चली गई थी। श्री राधाकिशन जी को अपनी पुत्री प्रार्थीया के विपरित आचरण से भारी	

मानसिक कष्ट पहुॅचा जिससे स्व. श्री राधाकिशन जी ने अपने जीते जी ही प्रार्थीया को अपनी सम्पतित से बेदखल कर अपने जीवनकाल मे ही उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 को प्रदत्त कर दी एवं अपनी अन्तिम वसीयत दिनांक 09.05.98 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को अपनी समस्त सम्पत्ति का मालिकाना हक देते हुए मालिक बना दिया। प्रार्थीया मात्र स्व. श्री राधाकिशन जी की पुत्री होने के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से भूमि हथियाना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हैं जिससे प्रार्थीया के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है कि वह विपक्षी संख्या 1 के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें नाही वादग्रस्त भूमि में प्रवेश करें एवं नाही सम्पत्ति को नुकसान ही पहुॅचाये। अतः ताफैसला प्रतिदावा निस्तारण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावें कि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया प्रवेश नही करे नाही भूमि को नुकसान पहुॅचाये तथा विपक्षी संख्या 1 के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त कार्य ना तो स्वयं करें नाही अन्य से करावें।

विपक्षी की जवाबी बहस के विरूद्ध प्रार्थीया ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात राधाकिशन जी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो सर्वथा गलत है क्योंकि इसकी कोई जानकारी प्रार्थीया को नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अंतिम वसीयत दिनांक 09.05.98 को निष्पादित की जाना बताया गया है जो गलत है क्योंकि पिताजी के लिये वादी एवं प्रतिवादी दोनो ही समान थे और उसमें किसी प्रकार कोई फर्क नहीं था। यदि प्रतिवादी इस वसीयत के आधार पर मालिक होना कह रहा है तो राजस्व रेकार्ड में पिताजी की मृत्यु के पश्चात् जो इन्द्राज हेतु नामान्तरकरण खुलवाया वह नामान्तरकरण दिनांक 29.07.05 को विरासत के आधार पर ही खोला था ना कि वसीयत के आधार पर। वादीया स्वयं वादग्रस्त आराजीयात की मालिक काबिज हैं। इस कारण वादीया के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बड़ी पटवार क्षेत्र बड़ी तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 2330 से 2337 कुल किता 8 रकबा 1.0850 हैक्टर भूमि श्री राधाकिशन पिता हीरालाल ब्राम्हण के खातेदारी की भूमि थी। श्री राधाकिशन प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता हैं। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाहे जाने हेतु निवेदन किया गया तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थीया के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करायी जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद एवं विपक्षी का प्रतिवाद पृथक से विचाराधीन हैं। अतः विवादीत आराजीयात का हस्तान्तरण या खुर्द बुर्द किये जाने की स्थिति में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढने से रोके जाने के हेतु प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

अतः उभयपक्ष को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादीत आराजीयात में मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

डॉ. मंजु (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बड़गॉव, उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 15:35:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: